संख्या- 6/2026/308/सैंतालीस-का-4-2026

प्रेषक,

एम0 देवराज,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश

3- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4- पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिदेशक (अभिसूचना), उत्तर प्रदेश।

5- समस्त क्षेत्रीय अपर पुलिस महनिदेशक/ परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 28 अक्टूबर, 2026**

विषय- विभिन्न परीक्षाओं/ चयनों के आधार पर राज्याधीन सेवाओं हेतु चयनित अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति से पूर्व उनके पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में ।

महोदया/ महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के सम्बन्ध में शासनादेश सं0- 4694/11-B-321-1947 दिनांक- 28.04.1958 द्वारा नियम बनाये गये हैं। इसी क्रम में शासनादेश सं0- 8/22-1975-का-2 दिनांक- 20.05.1978, शासनादेश सं0-5/ 9/1982-का-2, दिनांक- 25.05.1985 एवं शासनादेश सं0-4/1/4/2011-का-4-2013, दिनांक- 21.10.2013 द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन हेतु समय-सीमा नियत की गयी है। शासनादेश सं0-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक-29.04.2021 द्वारा अभ्यर्थी से निर्धारित प्रपत्रों पर सत्यापन-पत्र एवं स्वघोषणा पत्र प्राप्त कर औपबन्धिक नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने संबंधी निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- रिट-ए सं0-7068 /2021 शैलेन्द्र कुमार बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा रिट- ए सं0-14240 /2007 अनिल कुमार यादव बनाम राज्य सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/ चरित्र सत्यापन हेतु केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए दिनांक 01.02.2012 की केंद्रीय नीति के आलोक में नवीन नीति बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3- उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में इस विषय पर समय- समय पर निर्गत प्रस्तर 1 में उल्लिखित समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए विभिन्न पद पर चयनित अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पूर्व उनके पूर्ववृत्त/ चरित्र सत्यापन हेतु निम्नलिखित समेकित नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन कार्यरत निगम/ परिषद/ शैक्षणिक संस्था/ स्वायत्तशाशी निकाय/ उपक्रम/ त्रिस्तरीय पंचायती संस्था, नगर क्षेत्र के स्थानीय निकाय आदि के अधीन नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सेवा में या पद पर, जिस पर उसे नियुक्ति किया जाना है, सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो ।नियुक्त करने से पहले उम्मीदवार की पहचान और चारित्रिक उपयुक्तता की पुष्टि करना नियुक्ति प्राधिकारी का दायित्व होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी का पूर्ण विवरण देते हुये सभी मामलों को पुलिस महानिदेशक (अभिसूचना) तथा गृह जनपद के जिलाधिकारी और उस जनपद के जिलाधिकारी को, जहां अभ्यर्थी जांच के दिनांक से पांच वर्षों के भीतर एक वर्ष से अधिक समय तक के लिये रहा हो, संदर्भित किया जाएगा।
3. जिलाधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के संबंध में जनपदीय पुलिस प्रमुख से आख्या प्राप्त की जायेगी, जिनके द्वारा जिला पुलिस के अभिलेखों और स्थानीय अभिसूचना इकाई के अभिलेखों को देखा जाएगा। जिला पुलिस या जिला अभिसूचना इकाई द्वारा मौके पर कोई जांच (पूछताछ) नहीं की जायेगी तथा अभ्यर्थी की भौतिक उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जायेगी और न ही उनसे कोई अतिरिक्त अभिलेख मांगे जायेंगे,अपितु अपने अभिलेखों को देखकर रिपोर्ट दी जायेगी कि अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य हैं या नहीं। किन्तु यदि किसी विशिष्ट मामले में नियुक्ति प्राधिकारी के कहने पर जिलाधिकारी द्वारा मौके पर जांच के लिये कहा जाता है, तो स्थानीय पुलिस या स्थानीय अभिसूचना इकाई ऐसा करेगी और परिणाम से जिलाधिकारी को और जिलाधिकारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अवगत कराया जाएगा।
4. जिलाधिकारी द्वारा सत्यापन प्रपत्रों को स्वयं हस्ताक्षरित करते हुये अपनी आख्या नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जाएगी।
5. जहां किसी अभ्यर्थी के बारे में जिला पुलिस या स्थानीय अभिसूचना इकाई की आख्या प्रतिकूल हो तो जिलाधिकारी अपनी आख्या प्रेषित करने से पूर्व उस अभ्यर्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा जो भौतिक अथवा ऑनलाइन हो सकता है।
6. यदि जांच के समय अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के बाहर किसी स्थान पर रहा हो या यदि वह जांच के दिनांक से पांच वर्षों के भीतर किसी भी समय ऐसे स्थान पर एक वर्ष या अधिक अवधि के लिये रहा हो तो जनपदीय पुलिस प्रमुख का यह कर्तव्य होगा कि सत्यापन आख्या बनाने से पहले संबंधित राज्य/ संघ राज्य, जहां वह स्थान स्थित है, के पुलिस प्रमुख से भी परामर्श कर लें।
7. चरित्र सत्यापन के संबंध में पुलिस महानिदेशक (अभिसूचना) एवं जिलाधिकारियों को प्रेषित किये गये संदर्भों की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर पूर्ववृत्त/ चरित्र सत्यापन आख्या संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/ विभाग को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
8. यदि उपर्युक्त निर्धारित समय सीमा के भीतर सत्यापन की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रकरण को संदर्भित किया जाएगा और गृह विभाग द्वारा सत्यापन आख्या नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही अविलंब सुनिश्चित की जाएगी।
9. ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व से ही सरकारी सेवा में हैं, उनके पूर्ववृत्त/ चरित्र सत्यापन की आवश्यक्ता नहीं होगी किन्तु उनके पूर्व विभाग से यथावश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
10. यह उल्लेखनीय है कि नियुक्ति पत्र निर्गमन को इस प्रकार के सत्यापन के लिए लंबित नहीं रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं इस आशय का स्वःघोषणा पत्र कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं (अनुलग्नक) प्राप्त कर औपबन्धिक नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे।
11. यह भी उल्लेखनीय है कि सेवा में चयनित अभ्यर्थी के लिए आवेदन पत्र/ सत्यापन एवं स्वघोषणा पत्र में यह घोषित करना आवश्यक होगा कि क्या उसे किसी आपराधिक मामले/अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है, अभियोजित किया गया है अथवा किसी न्यायालय द्वारा अपराध के लिये दोषसिद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी यह भी घोषित करेगा कि उसके विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप-पत्र,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विचारण अथवा निवारक/निरूद्धि कार्यवाही लम्बित/निस्तारित नहीं है, उसे पूर्व सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया है तथा किसी आयोग/बोर्ड द्वारा अनुचित साधनों के कारण डिबार नहीं किया गया है (अन्यथा विवरण देगा)।

12. औपबंधिक नियुक्ति पत्र में, यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जायेगा कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

13. सत्यापन की सूचना प्राप्त होने और अभ्यर्थी द्वारा दिये गये तथ्यों पर कोई आपत्ति नही होने पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र की पुष्टि कर दी जायेगी। किन्तु यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र/ सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा पत्र में भारतीय दण्ड संहिता /भारतीय न्याय संहिता या केन्द्र/राज्य सरकार के किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत अपराधिक मामलों या निवारक कार्यवाही आदि में संलिप्त होने और गिरफ्तारी के तथ्य का खुलासा नहीं करता और बाद में यह तथ्य भर्ती प्राधिकारियों के संज्ञान में आता है, या जिलाधिकारी से प्राप्त सत्यापन आख्या से, या अन्यथा पता चलता है, तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय सेवा के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा और नियुक्ति प्राधिकारी यथानुसार भारतीय न्याय संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/ सिविल/ विधिक कार्यवाही आरंभ करेंगे तथापि यदि अभ्यर्थी की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है, तो नियुक्ति रद्द करते समय नैसर्गिक न्याय के सिंद्धात का पालन किया जायेगा और अभ्यर्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा।

14. यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अपराधिक मामले, निवारक कार्यवाही आदि में अपनी संलिप्तता या गिरफ्तारी का खुलासा नहीं करता लेकिन चिकित्सा परीक्षण/ प्रमाणीकरण/ सत्यापन/ स्वःघोषणा प्रपत्र में लिखित रूप से उसकी सूचना दे देता है, तो केवल इस आधार पर उसका अभ्यर्थन निरस्त नहीं किया जायेगा।

15. किसी प्रकरण में, जहां नियुक्ति प्राधिकारी का विचार हो कि अभ्यर्थी की नियुक्ति संवेदनशील पद पर होगी या सुरक्षा के दृष्टिगत जिसमें विस्तृत पूर्व सत्यापन विशेष रूप से आवश्यक है, वहां औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाएगा और नियुक्ति केवल इस प्रकार के सत्यापन के पश्चात ही की जायेगी, तथापि ऐसे प्रकरणों में प्रशासकीय विभाग द्वारा कारण सहित पूर्ण औचित्य दर्शाते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

16. भारत सरकार या राज्य सरकार या उनके अधीन किसी निगम/ उपक्रम/ संस्था/ प्राधिकरण आदि द्वारा सेवा से बर्खास्त किये गये व्यक्तियों को राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त माना जायेगा।

17. अभ्यर्थी की नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि निम्नलिखित अपराधों में उसकी दोषसिद्धि पाई गई हो अथवा जहाँ विशेष रूप से उल्लिखित है वहाँ सक्षम न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिए गए हों अथवा वह श्रेणी C या श्रेणी E में वर्णित स्थिति से आच्छादित हो :-

श्रेणी A - गम्भीर/जघन्य/नैतिक अधमता के अपराध (आरोप-विरचन अथवा दोषसिद्धि - दोनों पर अयोग्यता)

क्र.	**अपराध**	**भारतीय दण्ड संहिता, 1860**	**भारतीय न्याय संहिता, 2023**
(क)	राज्य के विरुद्ध अपराध	अध्याय VI, धारा 121-130	अध्याय VII, धारा 147-158

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ख)	सेना, नौसेना एवं वायुसेना से सम्बन्धित अपराध	अध्याय VII, धारा 131-136	अध्याय VIII, धारा 159-164
(ग)	सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों एवं सरकारी स्टाम्पों से सम्बन्धित अपराध	अध्याय XII, धारा 230-263-A; 489-A-489-E	अध्याय X, धारा 178-188
(घ)	हत्या, आपराधिक मानव वध, हत्या का प्रयत्न, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, दहेज मृत्यु	302, 303, 304, 304-B, 305, 306, 307, 308	103, 104, 105, 80, 107, 108, 109, 110
	गर्भपात एवं शिशु-सम्बन्धी अपराध	312-317	88-93
	खतरनाक आयुध/विष द्वारा घोर उपहति, सम्पत्ति उद्दापन हेतु उपहति, तेज़ाब हमला	326, 326-A, 326-B, 327, 328, 329	118(2), 124, 119(1), 119(2), 123
	फिरौती/हत्या हेतु व्यपहरण, दासत्व, मानव दुर्व्यापार, बलात्-श्रम, वेश्यावृत्ति हेतु अवयस्क का क्रय-विक्रय	364, 364-A, 367, 369, 370, 370-A, 371, 372, 373, 374	140(1), 140(2), 140(4), 97, 143, 144, 145, 98, 99, 146
	बलात्संग एवं अन्य यौन अपराध	376, 376-A से 376-E	64-71
	महिला की लज्जा भंग करने हेतु हमला, विवस्त्र करने हेतु हमला, दृश्यरतिकता	354, 354-B, 354-C	74, 76, 77
(ड.)	लूट, डकैती एवं उद्दापन	384-389, 392-402	308, 309-313
(च)	संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, समूह द्वारा हत्या (भीड़ हिंसा)	--	111, 113, 103(2)
(छ)	साइबर एवं इलेक्ट्रॉनिक अपराध (कंप्यूटर संसाधन द्वारा कारित) डिजिटल अरेस्ट, OTP/UPI ठगी, सेक्सटॉर्शन, डीपफेक, शासकीय/परीक्षा प्रणाली की हैकिंग	384, 419, 420, 465-471	308, 318(4), 319(2), 336-340
(ज)	परीक्षा/चयन-सम्बन्धी अपराध डमी अभ्यर्थी, कूट-रचित प्रमाण-पत्र (जाति/आय/दिव्यांग / खेल/निवास), प्रश्न-पत्र लीक, सॉल्वर गैंग	419, 465-471	319, 336-340
(झ)	मूल्यवान प्रतिभूति, न्यायालय/लोक अभिलेख की कूटरचना एवं उसका असली के रूप में उपयोग	466, 467, 468, 471	337, 338, 336(3), 340(2)
(ञ)	लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यास-भंग	409	316(5)
(ट)	निवास-गृह आदि को नष्ट करने हेतु अग्नि/विस्फोटक द्वारा रिष्टि (आगज़नी)	436	326(g)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ठ)	मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध में दोषसिद्धि कराने हेतु मिथ्यासाक्ष्य गढ़ना	194, 195	230, 231
(ड)	उपर्युक्त अपराधों का प्रयत्न, दुष्प्रेरण एवं आपराधिक षड्यंत्र	107-120-B, 511	45-62

श्रेणी B - विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत अपराध (आरोप-विरचन अथवा दोषसिद्धि - दोनो पर अयोग्यता)

क्र.	अधिनियम
1	स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अल्प मात्रा से अधिक मात्रा वाले अपराध तथा धारा 27-क, 29 (धारा 27 के अन्तर्गत उपभोग एवं अल्प मात्रा के मामले श्रेणी D में)
2	आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 (1-A), 25(1-AA), 27 (धारा 25 की अन्य उपधाराएँ श्रेणी D में)
3	शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923
4	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908
5	विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 तथा आतंकवाद-सम्बन्धी समस्त अधिनियम (निरसित पोटा, 2002 एवं टाडा, 1987 के अधीन मामलों सहित)
6	राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की अनुसूची के समस्त अपराध
7	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
8	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012
9	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66-ग, 66-घ, 66-ङ, 66-च, 67-क, 67-ख
10	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
11	धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002
12	सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (केन्द्रीय) एवं उ.प्र. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024
13	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135
14	उ.प्र. डकैती-प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1983
15	उ.प्र. आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 60-क (मिलावटी/विषैली मदिरा से मृत्यु/उपहति)
16	उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
17	उ.प्र. विधिविरुद्ध धर्म-सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 (यथासंशोधित 2024)
18	उ.प्र. गोवध निवारण अधिनियम, 1955 की धारा 3 सपठित धारा 8 (गोवध)

श्रेणी C - निवारक/निरुद्धि कार्यवाहियाँ (जहाँ निरुद्धि आदेश निर्गत होकर सलाहकार बोर्ड द्वारा पुष्ट हो चुका हो तथा किसी सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा अपास्त न किया गया हो)

क्र.	निवारक/निरुद्धि कार्यवाही
1	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980
2	विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम (कोफेपोसा), 1974
3	चोर-बाज़ारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अनुरक्षण अधिनियम, 1980
4	स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम (पिट-एन.डी.पी.एस.), 1988

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5	राज्य/राष्ट्र-सुरक्षा, आतंकवादी/विघटनकारी गतिविधियों एवं उग्रवाद से सम्बन्धित तत्प्रवृत अधिनियमों के अन्तर्गत की गई निरुद्धि

श्रेणी D - केवल दोषसिद्धि पर अयोग्यता, अपील लम्बित होने पर भी (आरोप-विरचन मात्र पर नहीं)

क्र.	**अपराध**	**भारतीय दण्ड संहिता, 1860**	**भारतीय न्याय संहिता, 2023**
(i)	आपराधिक षड्यंत्र, जहाँ अन्तर्निहित मुख्य अपराध श्रेणी A/B में न हो	120-B	61(2)
(ii)	लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध वैमनस्य फैलाना, राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल लांछन	153-A, 153-B	196, 197
(iii)	धर्म से सम्बन्धित अपराध (धार्मिक भावना आहत करने वाले शब्द आदि को छोड़कर)	295, 295-A, 296, 297	298, 299, 300, 301
(iv)	खतरनाक आयुध से उपहति, घोर उपहति, संस्वीकृति उद्दापन हेतु उपहति, लोक सेवक को उपहति	324, 325, 330, 331, 332, 333	118(1), 117(2), 120(1), 120(2), 121(1), 121(2)
(v)	अन्य संज्ञेय उपहति एवं समान श्रेणी के ऐसे अपराध जो तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय हों (और अपवाद (18) (5) से आच्छादित न हों)	347, 348	127(7), 127(8)
(vi)	सदोष परिरोध के गम्भीर रूप	347, 348	127)7), 127(8)
(vii)	व्यपहरण/अपहरण (श्रेणी A में उल्लिखित को छोड़कर)	363, 365, 366, 366-A, 366-B, 368	137(2), 140(3), 87, 96, 141, 142
(viii)	लैंगिक उत्पीड़न, पीछा करना, स्त्री की लज्जा का अनादर	354-A, 354-D, 509	75, 78, 79
(xi)	मिथ्यासाक्ष्य एवं लोकन्याय-विरुद्ध अपराध (श्रेणी A में उल्लिखित को छोड़कर)	193, 201	229, 238
(x)	फरार अपराधी को आश्रय (जहाँ आश्रय देने वाला अपराधी का पति/पत्नी, माता-पिता, संतान अथवा भाई-बहन न हो)	212, 216	249, 253
(xi)	सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध (श्रेणी A में उल्लिखित लूट, डकैती, उद्दापन को छोड़कर), जिनमें विषय-वस्तु का मूल्य ₹10,000/- या अधिक हो अथवा बल/शस्त्र/सेंधमारी का तत्व हो	378-462 (उक्त सीमा तक)	303-334 (उक्त सीमा तक)
(xii)	आर्थिक अपराध - बेईमानी से दुर्विनियोग, आपराधिक न्यास-भंग, छल	403, 406, 420	314, 316(2), 318(4)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(xiii)	दस्तावेज़ों से सम्बन्धित अन्य अपराध (शासकीय अभिलेख/मुद्रा/मूल्यवान प्रतिभूति/कूट-रचित प्रमाण-पत्र को छोड़कर, जो श्रेणी A में हैं)	465, 469, 470, 474, 477-A	336(2), 336(4), 339, 344
(xiv)	आगज़नी (निवास-गृह को छोड़कर)	435	326(f)
(xiv)	विवाह एवं दहेज सम्बन्धी अपराध -केवल तभी जबकि अभ्यर्थी स्वयं पति हो	494, 495, 496, 498, 498-A; दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3, 4	82, 83, 84, 85, 86; दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3, 4
(xvi)	निर्वाचन-सम्बन्धी रिश्वतखोरी	171-B	170
(xvii)	लघु संगठित अपराध	--	112

श्रेणी D (भाग-2)- विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत अपराध (केवल दोषसिद्धि पर अयोग्यता, अपील लंबित होने पर भी; आरोप-विरचन मात्र पर नही)

क्र.	निवारक/निरुद्धि कार्यवाही
(xviii)	स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अल्प मात्रा के मामले (धारा 27 के अन्तर्गत उपभोग को छोड़कर)
(xix)	आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 की अन्य उपधाराएँ
(xx)	विस्फोटक अधिनियम, 1884
(xxi)	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66, 67
(xxii)	लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984

श्रेणी E- बारम्बार अपराध (अभ्यासतः अपराधी)

क्र.	बारम्बार अपराध-अपराध लघु हों, तब भी अयोग्यता
(i)	अभ्यर्थी किसी भी अपराध में दो या अधिक पृथक मामलों में आरोपपत्रित हुआ हो, जिनमें से कम से कम एक आरोप-पत्र जाँच के दिनांक से पूर्व के तीन वर्षों के भीतर की हो; अथवा
(ii)	अभ्यर्थी के विरुद्ध जाँच के दिनांक से पूर्व के पाँच वर्षों के भीतर तीन या अधिक पृथक मामलों में सक्षम न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये जा चुके हों।
गणना के नियम "पृथक मामलों" की गणना में:	
(क)	एक ही घटना अथवा संव्यवहार से उत्पन्न मामले, तथा उसी घटना के सम्बन्ध में दर्ज प्रति-प्रथम सूचना रिपोर्ट (क्रॉस केस), एक मामला गिने जाएँगे।
(ख)	उपखण्ड (ii) के प्रयोजन हेतु, एक ही परिवादी/पक्षकार द्वारा अथवा एक ही भूमि, सम्पत्ति, पारिवारिक या वैवाहिक विवाद से उत्पन्न अनेक मामले एक मामला गिने जाएँगे।
(ग)	ऐसे मामले नहीं गिने जाएँगे जिनमें अभ्यर्थी उन्मोचित/दोषमुक्त हो चुका हो, अथवा जो शमन/समझौता/लोक अदालत द्वारा निस्तारित, सरकार द्वारा वापस, न्यायालय द्वारा रद्द अथवा अंतिम रिपोर्ट स्वीकार होने से समाप्त हो चुके हों।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(घ)	किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत व्यवहृत मामले, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत परिवीक्षा/भर्त्सना का लाभ पाये मामले, तथा केवल जुर्माने से दण्डनीय यातायात/मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन नहीं गिने जाएँगे।

(18) अपवादः -

क्र.	**निम्न परिस्थितियों में अभ्यर्थी को सेवायोजन से वर्जित नहीं किया जाएगा**
(1)	यदि केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट/परिवाद दर्ज हुआ हो, मामला विवेचनाधीन हो, अथवा आरोप-पत्र/संज्ञान के उपरान्त भी सक्षम न्यायालय द्वारा आरोप विरचित न किये गये हों (यह श्रेणी A/B पर भी लागू होगा); तथा श्रेणी D की दशा में जब तक दोषसिद्धि न हो।
(2)	यदि अभ्यर्थी को न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से उन्मोचित/दोषमुक्त कर दिया गया हो, चाहे अपील लम्बित हो अथवा नहीं।
(3)	लोक अदालत में आपसी समझौते से, अथवा दं.प्र.सं., 1973 की धारा 320/भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 359 के अन्तर्गत शमन (समझौते) द्वारा निस्तारित मामले।
(4)	यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन/कार्यवाही केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा वापस ले ली गई हो।
(5)	यदि कार्यवाही मा० उच्च न्यायालय/मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गई हो, अथवा अंतिम रिपोर्ट सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई हो, अथवा दोषसिद्धि के उपरान्त अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958/भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 401 के अन्तर्गत परिवीक्षा या भर्त्सना का लाभ दिया गया हो।
(6)	लघु अपराध, जो श्रेणी A/B/D में सम्मिलित न हों (i) असंज्ञेय अपराध, तथा ऐसे शमनीय अपराधः (ii) केवल जुर्माने अथवा सामुदायिक सेवा से दण्डनीय अपराध; (iii) अधिकतम एक वर्ष तक के कारावास (किसी भी भाँति के) से दण्डनीय अपराध; (iv) ₹10,000/- से कम मूल्य की सम्पति से सम्बन्धित ऐसे अपराध जिनमें बल/शस्त्र/सेंधमारी का तत्व न हो; (v) यातायात-उल्लंघन अथवा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अपराध।
(7)	किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 24(1) के अनुसार, विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालक, जिनके मामले उक्त अधिनियम के अन्तर्गत व्यवहृत किये गये हैं, किसी अयोग्यता का सामना नहीं करेंगे।
(8)	व्यपगत-काल- जहाँ श्रेणी D के किसी अपराध में दोषसिद्धि के पश्चात सात वर्ष व्यपगत हो चुके हों तथा अभ्यर्थी का तदन्तर आचरण निष्कलुष रहा हो, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी कारण-लेख सहित छूट पर विचार कर सकेगा।

4- उपरोक्त प्रस्तरों में किसी बात के होते हुये भी किसी व्यक्ति को मात्र उसकी राजनीतिक विचारधारा के कारण नियुक्ति हेतु अनुपयुक्त नहीं माना जायेगा किन्तु ऐसे व्यक्ति जो किसी ऐसे संगठन के सदस्य हैं, जिसका संकल्पित उद्देश्य हिंसात्मक रीति से समाज की विद्यमान व्यवस्था को बदलना है, सरकार के अधीन नियुक्ति के लिये अपात्र समझे जायेंगे। इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद और जांच के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर किसी भी ऐसी गतिविधि में भाग लेने को इस बात का प्रमाण माना जायेगा कि वह व्यक्ति अभी भी ऐसी गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न है, जब तक कि समय के इस अन्तराल में उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन के सकारात्मक (ठोस) प्रमाण उपलब्ध न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उपरोक्त दिशानिर्देश यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगें किन्तु पूर्व से लम्बित प्रकरणों को इन दिशानिर्देशों के आधार पर निस्तारित किया जाएगा।

कृपया उपर्युक्त दिशानिर्देशों का समस्त स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(एम0 देवराज)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 6/2026/308(1)/सैंतालीस-का-4-2026 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग/ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग/ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग/ उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा चयन आयोग/ उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड/ उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल/ उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक भर्ती बोर्ड।

2-सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग/ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग/ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग/ उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा चयन आयोग/ उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड/ उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल/ उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक भर्ती बोर्ड।

3-प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

4-सचिवालय के समस्त अनुभाग।

5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शशिकान्त कनौजिया)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सत्यापन प्रपत्र (अनुलगनक-1)

पासपोर्ट आकार का नवीनतम हस्ताक्षरित चित्र चिपकायें (5 सेमी गुणा 7 सेमी)

2.	''चेतावनी'' सत्यापन प्रपत्र में असत्य जानकारी प्रस्तुत करना या किसी भी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना अनर्हता होगी और सरकार के अधीन नियोजन के लिए अभ्यर्थी अपात्र हो जायेगा । इस प्रपत्र को पूर्ण करने एवं जमा करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी नजरबंद, गिरफ्तार, अभियोजित, तड़ीपार कृत अर्थदण्ड से दण्डित दोषकृत, विवर्जित या अपराध मुक्त आदि किया जाता है तो उन विवरणों को तत्काल उन प्राधिकारियों के पास तत्काल भेजा जाना चाहिए जिनके पास पूर्व में सत्यापन प्रपत्र भेजा गया था, इसमें विफल होने पर तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना माना जायेगा ।
3.	यदि, किसी व्यक्ति की सेवा अवधि के मध्य किसी समय सत्यापन प्रपत्र में किसी तथ्यात्मक जानकारी का छिपाया जाना या त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है तो उसकी सेवायें समाप्त किये जाने योग्य होंगी ।

1. पूर्ण नाम (बड़े अक्षरों)	उपनाम	नाम
2. (क) पूर्ण वर्तमान पता (उदाहरण- ग्राम, थाना एवं जनपद या मकान संख्या, वीथी/ गली/ सड़क एवं कस्बा) :		
3. (क) घर का पूर्ण पता (उदाहरणार्थ गांव, थाना एवं जनपद, या मकान संख्या, वीथी/ गली / सड़क एवं कस्बे तथा जनपद मुख्यालय का नाम:		

4. विगत पांच वर्षों की अवधि में उन स्थानों का विवरण दिया जाय (जहां आप) एक वर्ष से अधिक से अवधि तक रहे हों (निवास की अवधि के साथ) विदेश निवास (पाकिस्तान सहित) की स्थिति में उन समस्त स्थानों का विवरण, जहां आप 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों ।

दिनांक	निवास का पता (उदाहरणार्थ मकान संख्या, गली/ वीथी/ सड़क ग्राम थाना नगर जनपद)	जनपद मुख्यालय का नाम या पूर्ववर्ती स्तम्भ में वर्णित स्थान का वर्णन

5.	नाम (पूर्ण रूप में एवं उपनाम यदि कोई हो)	राष्ट्रीयता (जन्म से अधिवास से)	जन्म स्थान	व्यवसाय, यदि नियोजित है तो पदनाम एवं कार्यालय का पता	वर्तमान डाक का पता (यदि मृत हो तो अन्तिम पता	घर का स्थायी पता
क) पिता ख) माता						

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ग) पत्नी/पति घ) भ्रातागण/ ड़) भगिनी/ भगिनीगण						

5. (क)	पुत्र एवं/या पुत्री के संबंध में सूचना दी जाये यदि वे किसी विदेशी राष्ट्र में निवास या अध्ययन कर रहे हों

नाम	जन्म से या अधिवास से राष्ट्रीयता	जन्मस्थल देश	जिसमें निवास/अध्ययन कर रहे हैं का नाम, पूर्ण पता सहित	दिनांक, जिसमे पूर्ववर्ती स्तम्भ में वर्णित देश में निवास/अध्ययन कर रहे हैं

6.		राष्ट्रीयता :
7.	(क)	जन्म तिथि
	(ख)	वर्तमान आयु:
	(ग)	10वीं कक्षा में आयु क्या थी:
8.	(क)	जन्म स्थान, जनपद एवं राज्य जहां वह अवस्थित है :
	(ख)	जनपद एवं राज्य जिससे आप संबंधित हैं :
	(ग)	जनपद एवं राज्य जिससे आपके पिता मूल रूप से संबंधित थे
9.	(क)	आपका धर्म
	(ख)	क्या आप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं : (हां या नही में उत्तर दीजिए।)

10.	शैक्षिक योग्यता, 15 वर्ष की आयु से जिन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययन किया को वर्षवार एवं स्थानवार दर्शाते हुए :

विद्यालयों/ महाविद्यालय का नाम (पूर्ण पते सहित)	प्रवेश की तिथि	छोड़ने की तिथि	उत्तीर्ण की गयी परीक्षा

11.	(क)	क्या आपने केन्द्रीय सरकार या राज्य सररकाकर या किसी अर्द्ध सरकार या मानद सरकारी निकाय या किसी स्वायत्त निकाय या किसी सार्वजनिक उपक्रम या किसी निजी फर्म या संस्थान में किसी समय कोई पदधारित किया है या करते हैं? यदि हां तो नियुक्ति की तिथि का पूर्ण विवरण दें:

अवधि	पदनाम, परिलब्धियां एवं नियोजन की प्रकृति	नियोक्ता का पूर्ण नाम एवं पता	पूर्व सेवा छोड़ने कारण
तिथि से		तिथि से	

(ख)	यदि पूर्व का नियोजन भारत सरकार/ किसी राज्य सरकार/ भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण का उपक्रम/ एवं स्वायत्तशासी निकाय/ विश्वविद्यालय/ स्थानीय निकाय के अधीन था। क्या आपने केन्द्रीय नागरिक सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम-5 या तत्समान समान नियमावली के अधीन एक मास की सूचना देकर सेवा छोड़ी थी, क्या आपके विरूद्ध कोई अनुशासनिक

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्यवाही की गई थी, या क्या आपको सेवा समाप्ति की सूचना दिये जाने या आपकी सेवा वास्तविक रूप से समाप्त हो जाने के समय पर या बाद की तिथियों में किसी प्रकरण में आपको अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया था ?		
12 (एक)	(क)	क्या आप कभी गिरफ्तार हुये हैं	हाँ/नहीं
	(ख)	क्या आप कभी अभियोजित हुये हैं	हाँ/नहीं
	(ग)	क्या आप कभी नजरबंद हुये हैं	हाँ/नहीं
	(घ)	क्या आप कभी तड़ीपार हुये हैं	हाँ/नहीं
	(ड)	क्या आपको कभी न्यायालय ने अर्थदण्ड दिया है	हाँ/नहीं
	(च)	क्या आपको किसी कार्य के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं	हाँ/नहीं
	(छ)	क्या आपको कभी किसी लोक सेव आयोग/कर्मचारी चयनन आयोग द्वारा अपनी किसी परीक्षा/चयन के लिए विवर्जित / अयोग्य घोषित किया गया है	हाँ/नहीं
	(ज)	सत्यापन प्रपत्र भरने के समय आपके विरूद्ध कोई वाद किसी न्यायालय में लंबित तो नही है	हाँ/नहीं
	(झ)	इस सत्यापन प्रपत्र को भरने के समय आपके विरूद्ध किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक प्राधिकरण/ संस्था में कोई वाद लंबित तो नही है	हाँ/नहीं
	(त्र)	क्या सरकार या अन्यथा के अधीन किसी प्रशिक्षण/ संस्थान से आपकी कार्यमुक्ति/निष्कासन वापसी तो नही हुयी है	हाँ/नहीं
(दो)		इस सत्यापन प्रपत्र को भरते समय यदि उपरोक्त वर्णित प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर "हां" है तो <u>वाद/ गिरफ्तारी/ नजरबंदी/ अर्थदण्ड/ दोषसिद्धि/ दण्डादेश/ दण्ड आदि और/ या न्यायालय/ विश्वविद्यालय/ शैक्षिक प्राधिकरण आदि में लंबित वाद की प्रकृति का पूर्ण विवरण दें:</u>	
टिप्पणी	(एक)	कृपया इस सत्यापन प्रपत्र के शीर्ष पर अंकित "चेतावनी" भी देखें ।	
	(दो)	यथा प्रकरणानुसार प्रत्येक प्रश्न के विशिष्ट उत्तर "हां" या "नही" के रूप दिये जाने सकते हैं ।	
13.	आपके क्षेत्र में दो उत्तरदायी व्यक्तियों या अनुमोदकों के नाम जिनसे आप परिचित हों।	1) 2)	

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्वोलिखित सूचना सत्य एवं पूर्ण है। सरकार के अधीन नियोजन के लिये मूझे अनअर्ह करने वाली किन्हीं परिस्थितियों की मुझे जानकारी नही है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर:
दिनांक:
स्थान:

अभिज्ञान प्रमाण पत्र

(प्रमाणपत्र निम्नांकित में से किन्हीं एक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)

(एक)	केन्द्र या राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(दो)	निर्वाचन क्षेत्र, जहां अभ्यर्थी या उसके परिजन/ अभिभावक सामान्य रूप से निवास करते हो के सांसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य
(तीन)	उप जिला मजिस्ट्रेट/ अधिकारी
(चार)	मजिस्ट्रेरियल शक्तियों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत तहसीलदार या नायब/ उप तहसीलदार
(पांच)	अभ्यर्थी ने जिस मान्यता प्राप्त विद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्था से अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो के प्राचार्य/ प्रधानाचार्य
(छह)	खण्ड विकास अधिकारी
(सात)	डाकपाल
(आठ)	पंचायत निरीक्षक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....पुत्र/ पुत्री
श्री.....को मैं विगत.....मास से जानता हूँ एवं मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर :
पदनाम या प्रास्थिति
एवं पता :

<u>कार्यालय द्वारा भरा जायेगा ।</u>

एक) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं पूर्ण पता:

दो) पद जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी का चयन किया गया है:

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>सत्यापन प्रपत्र (अनुलगनक-2)</u>

पासपोर्ट आकार का नवीनतम हस्ताक्षरित चित्र चिपकायें (5 सेमी गुणा 7 सेमी)	1 2 3	**<u>"चेतावनी"</u>** **सत्यापन प्रपत्र में असत्य जानकारी प्रस्तुत करना या किसी भी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना अनर्हता होगी और सरकार के अधीन नियोजन के लिए अभ्यर्थी अपात्र हो जायेगा। इस प्रपत्र को पूर्ण करने एवं जमा करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी नजरबंद, गिरफ्तार, अभियोजित** तड़ीपार कृत अर्थदण्ड से दण्डित दोषकृत, विवर्जित या अपराध मुक्त आदि किया जाता है तो उन विवरणों को तत्काल उन प्राधिकारियों के पास तत्काल भेजा जाना चाहिए जिनके पास पूर्व में सत्यापन प्रपत्र भेजा गया था, इसमें विफल होने पर तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना माना जायेगा । यदि, किसी व्यक्ति की सेवा अवधि के मध्य किसी समय सत्यापन प्रपत्र में किसी तथ्यात्मक जानकारी का छिपाया जाना या त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है तो उसकी सेवायें समाप्त किये जाने योग्य होंगी।		
1. पूर्ण नाम (बड़े अक्षरों में			उपनाम	नाम
2.(क) पूर्ण वर्तमान पता (उदाहरण- ग्राम, थाना एवं जनपद या मकान संख्या				
2.	पूर्ण वर्तमान पता (उदाहरण-ग्राम, थाना एवं जनपद या मकान संख्या, <u>वीथी/ गली/ सड़क</u> एवं नगर):			
3.	घर का पूर्ण पता (उदाहरण- ग्राम, थाना एवं जनपद या मकान संख्या, वीथी/ गली/ सड़क एवं नगर तथा जनपद मुख्यालय का नाम:			
4.	आधार कार्ड संख्या :			
5.	पैन संख्या :			
6.	राष्ट्रीयता :			
7.(क)	जन्म तिथि :			
(ख)	वर्तमान आयु :			
(ग)	10 वीं कक्षा में आयु क्या थी :			
8.(क)	जन्म स्थान, जनपद एवं राज्य जहॉ वह अवस्थित है :			
(ख)	जनपद एवं राज्य जिससे आप संबंधित हैं :			

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ग)	जनपद एवं राज्य जिससे आपके पिता मूल रूप से संबंधित थे :	
9.(क)	आपका धर्म :	
(ख)	क्या आप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं : (हां या नहीं में उत्तर दीजिए)	

10.	उन स्थानों का विवरण (निवास की अवधि के साथ) जहॉ आपने विगत पॉच वर्षों की समयावधि में एक वर्ष से अधिक समय तक निवास किया है । विदेश निवास के प्रकरण में (पाकिस्तान समेत), उन समस्त स्थानों का विवरण दिया जाना चाहिए, जहॉ आपने 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात एक वर्ष से अधिक समय तक निवास किया है ।		
दिनांक से	दिनांक तक	निवास का पूर्ण पता (उदाहरणार्थ ग्राम, थाना एवं जनपद या मकान संख्या, गली/ वीथी/ सड़क एवं नगर	जनपद मुख्यालय का नाम या पूर्ववर्ती स्तम्भ में वर्णित स्थान का नाम

11.	नाम (पूर्ण रूप में एवं उपनाम यदि कोई हो)	राष्ट्रीयता (जन्म से एवं अधिवास से)	जन्म स्थान	व्यवसाय, यदि नियोजित है तो पदनाम एवं कार्यालय के पते का विवरण	वर्तमान डाक का पता (यदि मृत्यु हो चुकी है तो अंतिम निवास का पता)	घर का स्थायी पता
(क) पिता (ख) माता (ग) पत्नी						

12.	पुत्र (पुत्रगण)/पुत्री (पुत्रियां) यदि किसी विदेशी राष्ट्र में अध्ययन/ निवास कर रहे हैं तो उनके संबंध में सूचना दी जाये :			
नाम	जन्म या अधिवास से राष्ट्रीयता	जन्म स्थान	राष्ट्र जिसमें निवास/अध्ययन कर रहे हैं का पूर्ण पते के साथ विवरण	वह तिथि जिससे पूर्व स्तम्भ में वर्णित राष्ट्र में निवास/अध्ययन कर रहे हैं :

13.	शैक्षिक योग्यता, 15 वर्ष की आयु के पश्चात उन शैक्षिक योग्यता, 15 वर्ष की आयु से जिन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को दर्शाते हुए जिनमें शिक्षा प्राप्त की हो :			
विद्यालय /महाविद्यालय का नाम (पूर्ण पते सहित)		प्रवेश की तिथि	छोड़ने की तिथि	उत्तीर्ण की गई परीक्षा

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14.(क)	क्या आपने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अर्द्ध सरकार या मानद सरकारी निकाय या किसी स्वायत्तशासी निकाय या किसी सार्वजनिक उपक्रम या किसी निजी फर्म या संस्थान में किसी समय कोई पदधारित किया है या करते हैं? यदि हां तो नियुक्ति की तिथि के साथ पूर्ण विवरण दें :		
अवधि	पदनाम, परिलब्धियां एवं नियोजन की प्रकृति	नियोक्ता का पूर्ण नाम एवं पता	पूर्व सेवा छोड़ने के कारण
तिथि से	तिथि से तिथि तक		
14.(ख)	यदि पूर्व का नियोजन भारत सरकार/ किसी राज्य सरकार/ भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण का उपक्रम/ एवं स्वायत्त निकाय/ विश्वविद्यालय/ स्थानीय निकाय के अधीन था। क्या आपने केन्द्रीय नागरिक सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम-5 या तत्समान नियमावली के अधीन एक मास की सूचना देकर सेवा छोड़ी थी, क्या आपके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी, या क्या आपको सेवा समाप्ति की सूचना दिये जाने या आपकी सेवा वास्तविक रूप से समाप्त हो जाने के समय पर या बाद की तिथियों में किसी प्रकरण में आपको अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया था ?		

15.(एक)		क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है ?	हाँ/नहीं
		क्या आपको कभी अभियोजित किया गया है ?	हाँ/नहीं
		क्या आपको कभी नजरबंद किया गया है ?	हाँ/नहीं
		क्या आप पर किसी न्यायालय ने अर्थदण्ड लगाया है ?	हाँ/नहीं
		क्या आप किसी कार्य के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं ?	हाँ/नहीं
		सत्यापन प्रपत्र भरने के समय आपके विरूद्ध कोई वाद किसी न्यायालय में लंबित तो नही है	हाँ/नहीं
(दो)		इस सत्यापन प्रपत्र को भरते समय यदि उपरोक्त वर्णित प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर "हां" है तो वाद/ गिरफ्तारी/ नजरबंदी/ अर्थदण्ड/ दोषसिद्धि/ दण्डादेश/ दण्ड आदि और/ या न्यायालय/ विश्वविद्यालय/ शैक्षिक प्राधिकरण आदि में लंबित वाद की प्रकृति का पूर्ण विवरण दें:	

टिप्पणी : कृपया इस सत्यापन प्रपत्र के शीर्ष पर अंकित "चेतावनी" को भी देखें

यथा प्रकरणानुसार प्रत्येक प्रश्न के विशिष्ट उत्तर "हां" या "नहीं" के रूप में दिये जा सकते हैं ।

16.	आपके क्षेत्र में दो उत्तरदायी व्यक्तियों या अनुमोदकों के नाम जिनसे आप परिचित हों।	1) 2)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्वोलिखित सूचना सत्य एवं पूर्ण है। सरकार के अधीन नियोजन के लिये मूझे अनअर्ह करने वाली किन्हीं परिस्थितियों की मुझे जानकारी नही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	अभ्यर्थी का हस्ताक्षर: दिनांक: स्थान:
	अभिज्ञान प्रमाण पत्र (प्रमाणपत्र निम्नांकित में से किन्हीं एक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)
(एक)	केन्द्र या राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी
(दो)	निर्वाचन क्षेत्र, जहां अभ्यर्थी या उसके परिजन/ अभिभावक सामान्य रूप से निवास करते हो के सांसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य
(तीन)	उप जिला मजिस्ट्रेट/ अधिकारी
(चार)	मजिस्ट्रेरियल शक्तियों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत तहसीलदार या नायब/ उप तहसीलदार
(पांच)	अभ्यर्थी ने जिस मान्यता प्राप्त विद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्था से अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो के प्राचार्य/ प्रधानाचार्य
(छह)	खण्ड विकास अधिकारी
(सात)	डाकपाल
(आठ)	पंचायत निरीक्षक
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....पुत्र/ पुत्री श्री.....को मैं विगत.....मास से जानता हूँ एवं मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है। दिनांक : स्थान :	हस्ताक्षर : पदनाम या प्रास्थिति एवं पता :

<u>कार्यालय द्वारा भरा जायेगा</u>

एक) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं पूर्ण पता :

दो) पद, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी पर विचार किया जा रहा है :

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।